उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 (ड्राफ्ट)

1. <u>प्रस्तावनाः</u>

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में जैव ऊर्जा उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य जैव उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम 2018 लागू किया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत जैव ऊर्जा उद्यमों को पूंजीगत उपादान, राज्य जीएसटी की 10 वर्षो तक शत्–प्रतिशत प्रतिपूर्ति तथा इन उद्यमों की स्थापना हेतु भूमि क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी में शत्–प्रतिशत छूट की सुविधाए उपलब्ध कराई गयी थी। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक विभिन्न जैव ऊर्जा उत्पादों व तकनीकों से संबधित 14 परियोजनाओं को स्वीकृति पत्र निर्गत किये गये हैं।

वर्तमान परिदृश्य में कृषि अपशिष्ट को खेतों में ही जला दिये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न पर्यावरणीय संकट तथा भूमि की उत्पादकता में क्षति की समस्या के समाधान हेतु और भी प्रभावी ढंग से कृषि अपशिष्ट आधारित जैव ऊर्जा उद्यमों को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है। किसानों के लिए अतिरिक्त आय तथा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर सृजित करने हेतु भी जैव ऊर्जा उद्यमों की स्थापना से विशेष बल मिलेगा। इसी प्रकार प्रदेश में व्यापक रूप से उपलब्ध नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, कृषि उपज मंडियों के अपशिष्ट तथा चीनी मिलों के अपशिष्ट से जैव ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रचुर सम्भावनाओं को फलीभूत करने हेतु भी वर्तमान नीतिगत संरचना में परिमार्जन किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। पूर्व में निर्गत जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम 2018 के अन्तर्गत जिन इकाइयों को स्वीकृति पत्र निर्गत किया जा चुका है तथा जो वर्तमान नीति के लागू होने के दिनांक को निर्माणाधीन है, को उक्त स्वीकृति पत्रों में वर्णित लाभ नियत शर्तों के अधीन प्राप्त होते रहेंगे।

1.1 इस नीति का नाम **"उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022"** है।

1.2 इस नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों के माध्यम से निजी निवेशकों/विकासकर्ताओं को आकर्षित कर उनके माध्यम से जैव ऊर्जा उद्यमों की स्थापना कराई जायेगी।

1.3 इस नीति की कालावधि अधिसूचना के दिनांक से पॉच वर्ष तक के लिए होगी तथा इसके अन्तर्गत पंजीकृत तथा कमिशन होने वाली जैव ऊर्जा इकाईयों को नीति के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ तथा सुविधायें परियोजनाओं के सम्पूर्ण जीवन काल तक प्राप्त होंगी। नई नीति की अधिसूचना की तिथि से पूर्ववर्ती राज्य जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम, 2018 तथा राज्य जैव ऊर्जा नीति, 2014 समाप्त समझी जायेगी।

1.4 इस नीति के अन्तर्गत मात्र नये प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना की दशा में ही लाभ तथा सुविधायें देय होंगी।

1.5 इस नीति के अन्तर्गत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जैव ऊर्जा उद्यमों को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु लागू नीतियों और कार्यक्रमों का लाभ प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्यमों को त्वरित रूप से उपलब्ध कराने तथा उनमें प्रदेश सरकार से वांछित सहयोग तथा भूमिका के निर्वहन हेतु नीतिगत संरचना निर्धारित की गई है। इस नीति के अन्तर्गत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार की सत्त योजनान्तर्गत चयनित एलओआई होल्डर्स को स्वतः पंजीकरण कर प्राथमिकता के आधार पर नीति के लाभ, सुविधाएं एवं प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जायेंगे।

1.6 इस नीति का मुख्य बल अपशिष्ट आधारित जैव ऊर्जा उद्यमों के माध्यम से बायो सीएनजी तथा बायोकोल आदि के उत्पादन को बढ़ावा देना है परन्तु अपशिष्ट की उपलब्धता में सीजनल कमी आने अथवा जैव ऊर्जा प्लांट हेतु फीड स्टाक की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, गैर–खाद्य तिलहन/फसलों जैसे पौंगामिया पिन्नता (करंज), मेलिया अजादिरचट्टा (नीम), एरंड, जैट्रोफा केरकस, कॉलोफिलम इनोफिलम, सिमरोबा ग्लांका, हिबिस्कस कैनबिनस आदि के पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जायेगा। प्रदेश में जैव ऊर्जा के उत्पादन हेतु अतिरिक्त फीडस्टॉक बनाने के लिए लघु रोटेशन फसल जैसे कि मीठे ज्वार और ऊर्जा घास जैसे मिसकेनथुस जाईगंटम, स्विचग्रास (पैनिकम विग्राटम), विशालकाय रीड (अरूंडो डोनाक्स) इत्यादि

को बंजर भूमि में लगाया जायेगा। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा बोर्ड/ कृषि विभाग द्वारा किसानों तथा ग्राम पंचायतों की बंजर तथा अनुपजाऊ भूमियों पर फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों अथवा ग्रामीण उ़द्यमियों के माध्यम से गैर खाद्य तिलहन/फसलों, लघु रोटेशन फसलों और ऊर्जा घासों के पौधारोपण तथा उत्पादन एवम् मूल्य श्रृंखला विकास का कार्य किया जायेगा।

2. कृषि अपशिष्ट आधारित बायो सीएनजी/सीबीजी उद्यमों को प्रोत्साहन

2.1 नीति के अन्तर्गत पंजीकृत परियोजनाओं तथा उनके कैचमेंट एरिया में सक्रिय फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों/ग्रामीण उद्यमियों को बायोमास के संग्रहण हेतु रिपर, रेकर, बेलर तथा ट्रालर पर अपफ्रन्ट सब्सिडी कृषि विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी। कृषि एवम् कृषक कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत इन उपकरणों पर दी जा रही सब्सिडी को कृषि विभाग द्वारा नीति के अन्तर्गत स्थापित इकाईयों को प्रदान करने हेतु यथावश्यकता भारत सरकार से अतिरिक्त लक्ष्य की मांग की जायेगी। नीति के अन्तर्गत प्रथम चरण में उपादान युक्त उपकरण सत्त योजनान्तर्गत चयनित एलओआई होल्डर्स के प्रस्तावित सीबीजी संयंत्रों को कृषि अपशिष्ट उपलब्ध कराने हेतु उनके कैचमेंट में सक्रिय फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों/ग्रामीण उद्यमियों को प्रदान किया जायेगा।

2.2 कृषि विभाग द्वारा बायोमास संग्रहण हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में न्यूनतम् एक फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी का गठन, प्रशिक्षण तथा हैण्ड होल्डिंग की जायेगी। कृषि विभाग द्वारा विशेष रूप से सतत योजनान्र्तगत चयनित एलओआई होल्डर्स द्वारा स्थापित किये जा रहे बायो सीबीजी संयंत्रों को कृषि अपशिष्ट की आपूर्ति हेतु उनके कैचमैण्ट एरिया में एफपीओ के गठन, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के साथ ही उनके तथा एलओआई होल्डर्स के मध्य कृषि अपशिष्ट की दीर्घावाही आपूर्ति संविदा के निष्पादन हेतु फेसिलिटेशन किया जायेगा।

2.3 बायो सीबीजी संयंत्रों से सहउत्पाद के रूप में निकलने वाले बायो मैन्यूर को फर्टीलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन दिनांक 13.07.2020 के द्वारा ''फरमंटेड ऑरगेनिक मैन्यूर'' में शामिल किया गया है। कृषि विभाग तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा जैव ऊर्जा इकाईयों से उत्पादित आर्गेनिक खाद के प्रयोग सम्बन्धी शोध, प्रसार तथा विक्रय, इसके सम्बन्ध में नियत विशिष्टियों एवम् मानको के अन्तर्गत किया जायेगा। कृषि विभाग द्वारा संचालित तथा लाइसेंस शुदा खाद की दुकानों पर भी इस बायो मैन्यूर का क्रय–विक्रय किया जा सकेगा।

2.4 नवीन एवम् नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की वेस्ट टू इनर्जी डिवीजन के अन्तर्गत अपशिष्ट/बायोमास आधारित जैव ऊर्जा परियोजनाओं को दिया जाने वाला पूंजीगत उपादान, राज्य में स्थापित जैव ऊर्जा इकाईयों को उपलब्ध कराने हेतु यूपीनेडा द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

2.5 कृषि अपशिष्ट पर आधारित बायोकोल परियोजनाओं की स्थापना राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कोयला आधारित बिजली सयंत्रों के परिसरों में अथवा उनके सन्निकट कराने, इनकी आपूर्ति/उपयोग विद्युत उत्पादन हेतु कोयले के साथ जलाने तथा अन्य उपयोग हेतु निजी निवेशकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जायेगा।

3. <u>नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, कृषि उपज मण्डियों के अपशिष्ट तथा चीनी मिलों के अपशिष्ट आधारित बायो सीएनजी/सीबीजी उद्यमों को प्रोत्साहन।</u>

3.1 इस नीति के अन्तर्गत स्थापित जैव ऊर्जा उद्यमों को नगरीय निकायों द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट की आपूर्ति निशुल्क रूप से, स्थापित सयंत्र के परिसर तक उपलब्ध कराई जायेगी। इस संबन्ध में सत्त योजनान्तर्गत चयनित एलओआई होल्डर्स के साथ ठोस अपशिष्ट की डिलीवरी संबन्धी न्यूनतम 15 वर्षीय संविदा सम्पादित की जायेगी।

3.2 उ0प्र0 में सहकारी समिति अधिनियम, 1965 में दी गई व्यवस्था तथा उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि0 की अनुमति से सहकारी क्षेत्र की शुगर मिलो के परिसरों में उपलब्धतानुसार बायोसीबीजी संयंत्रों की स्थापना हेतु टोकन लीज रेन्ट पर भूमि उपलब्ध करायी जायेगी तथा चीनी मिलों के सहउत्पाद यथा प्रेसमड इत्यादि को अन्यत्र उपयोग न करने संबन्धी आदेश निर्गत करते हुए इसकी आपूर्ति दीर्घावधि अनुबन्ध के माध्यम से सत्त योजनान्तर्गत चयनित एलओआई होल्डर द्वारा स्थापित किये जाने वाले बायो सीएनजी संयंत्रों हेतु की जायेगी, जिनमें फीडस्टाक की क्रय दर तथा बायो मैन्यूर की रिवर्स आपूर्ति हेतु दर चीनी मिलों एवं गन्ना विकास, विभाग तथा सीबीजी उत्पादकों के द्वारा आपस में तय की जायेगी। सीबीजी प्लांटों के सहउत्पाद बायो मैन्यूर का वितरण चीनी मिल क्षेत्र में कृषकों को किया जायेगा।

3.3 उ0प्र0 सरकार के अधीन पशुपालन विभाग द्वारा राजकीय पशु आश्रय स्थलों में उपलब्ध भूमि तथा गोबरधन की उपलब्धता हेतु दीर्घावधि संविदा के संपादन द्वारा सत्त योजनान्तर्गत चयनित एलओआई होल्डर्स के माध्यम से सीबीजी संयंत्रों की स्थापना में सहयोग किया जायेगा। निजी गौशालाओं से गोबर के एकत्रीकरण, संग्रहण तथा सीबीजी संयंत्रों तक उनकी आपूर्ति हेतु मैकेनिज्म विकसित किया जायेगा।

3.4 राज्य कृषि उपज मण्डियों के अपशिष्ट के संग्रहण तथा सीबीजी सयंत्रों तक उनकी डिलिवरी हेतु भी मैकेनिज्म विकसित किया जायेगा। इसके लिए कृषि मण्डियों और सीबीजी सयंत्रों के एलओआई होल्डर्स के बीच दीर्घावधि फीडस्टॉक डिलिवरी संविदा संपादित की जायेगी।

4. <u>विद्युत कर शुल्क में छूट</u>

इस नीति के अन्तर्गत स्थापित जैव ऊर्जा उद्यमों को वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ की तिथि से 10 वर्षो तक विद्युत कर शुल्क में शत–प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

5. पूंजीगत उपादान

इस नीति के अंतर्गत केन्द्र सरकार के सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाजेशन योजना के अन्तर्गत संयंत्रों पर दी जा रही सब्सिडी के अतिरिक्त 30 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम रू 20.00 लाख की सीमा तक) प्रदेश सरकार द्वारा भी उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त जैव ऊर्जा उद्यम इकाइयॉ जिनको किसी नीति/योजना अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य नीति/योजना के अन्तर्गत पूंजीगत उपादान प्राप्त नहीं हो रहा है, को इकाई लागत के 15 प्रतिशत के बराबर पूंजीगत उपादान उपलब्ध कराया जायेगा।

इस प्रयोजन हेतु परियोजना लागत की गणना औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 के अन्तर्गत नियत मापदण्डों एवम् प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी। इकाई को पूंजीगत उपादान की देयता के विनिश्चय से पूर्व परियोजना संबंधी विस्तृत परियोजना प्रस्ताव का परीक्षण विषय विशेषज्ञों की टीम से कराया जायेगा। पूंजीगत उपादान की धनराशि संबंधित इकाई के पूर्ण क्षमता पर वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने के उपरांत बैंक लोन अकाउण्ट में निर्गत की जायेगी। पूंजीगत उपादान की स्वीकृति तथा परियोजना की पूर्णता की तिथि में समयविस्तार को अनुमन्य किये जाने हेतु, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सक्षम अधिकारी होंगे।

6. नोडल एजेन्सीः

इस नीति के अन्तर्गत जैव ऊर्जा इकाईयों की स्थापना को बढ़ावा देने तथा नीति के क्रियान्वयन हेतु यूपीनेडा नोडल एजेन्सी होगी। नोडल एजेन्सी द्वारा निवेशकों/विकासकर्ताओं का पंजीकरण, उनकी जिज्ञासाओं तथा समस्याओं का समाधान एवम् विभिन्न विभागों में इन इकाईयों के लम्बित आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

7. नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाले उद्यमों के पंजीकरण की प्रकिया

7.1 जैव ऊर्जा परियोजनाओं के पंजीकरण हेतु प्रकिया आगे दी गई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार की सत्त योजनान्तर्गत पूर्व से जिन विकासकर्ताओं को एलओआई निर्गत हो चुका है, का पंजीकरण वर्तमान नीति के अन्तर्गत प्रथमतः शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

7.2 यूपीनेडा द्वारा संबधित विभागों यथा कृषि, पशुपालन, नगर विकास, कृषि विपणन विभाग से सूचना प्राप्त कर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के अतिशेष बायोमास की उपलब्धता के आधार पर जिलेवार जैव ऊर्जा उत्पादन की क्षमता अधिसूचित की जायेगी। नये सर्वेक्षण तथा रिपोर्ट के आधार पर समय–समय पर जिलेवार तथा ब्लॉकवार अतिशेष बायोमास की उपलब्धता एवं तद्नुसार बायोमास अपशिष्ट आधारित जैव ऊर्जा उत्पादन की क्षमता में संशोधन किया जा सकेगा।

7.3 जिले/ब्लॉक में अपशिष्ट बायोमास आधारित जैव ऊर्जा उत्पादन हेतु परियोजनाओं के पंजीकरण हेतु उस जिले/ब्लॉक की अधिसूचित अपशिष्ट आधारित जैव ऊर्जा उत्पादन की क्षमता के अधिकतम् 50 प्रतिशत तक की सीमा तक एक या एक से अधिक सयंत्रों का पंजीकरण किया जा सकेगा ताकि जैव ऊर्जा के अतिरिक्त वैकल्पिक प्रयोगों हेतु भी बायोमास स्थानीय समुदाय को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहे।

7.4 जिले तथा ब्लॉक के अन्दर परियोजना के वास्तविक स्थल चयन हेतु विकासकर्ता को स्वतंत्रता रहेगी। परियोजना की क्षमता तथा बायोमास की आवश्यकता एवम् आच्छादन क्षेत्रफल के अनुसार निश्चित परिधि में अन्य किसी जैव ऊर्जा परियोजना का पंजीकरण नही किया जायेगा ताकि उक्त प्लांट के संचालन हेतु प्रर्याप्त बायोमास की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके तथा परियोजनाओं के बीच आपस में बायोमास आपूर्ति हेतु अवांछित टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो तथा उनकी वित्तीय व्यवहार्यता कुप्रभावित न हो।

7.5 विकासकर्ता (डेवलपर/प्रमोटर) को प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं समय–समय पर

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी सुसंगत दिशा निर्देशों/विनियमों का पालन करना आवश्यक होगा।

7.6 इस नीति के अन्तर्गत अपशिष्ट/बायोमास आधारित जैव ऊर्जा उद्यम की स्थापना हेतु इच्छुक विकासकर्ता द्वारा यूपीनेडा में पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र निम्नलिखित दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जायेगाः–

(1) विहित प्रारूप में आवेदन।

(2) कम्पनी के मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन/पंजीकृत सोसाइटीकी उपविधियों की प्रमाणित प्रति।

(3) भागीदारी–विलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि, (यदि लागू हो)।

(4) विगत तीन वर्षो के लेखे (बेलेन्शीट) की प्रति।

(5) पूर्व साध्यता (प्री–फीजिबिलिटी) प्रतिवेदन।

(6) पंजीकरण शुल्क रूपये दस हजार प्रति इकाई मूल्य का बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट। यह पंजीकरण शुल्क वापसी योग्य नही होगा।

7.7 विकासकर्ता द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज निर्धारित समय–सीमा (तीन माह) में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेगेंः–

(1) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।

(2) बायोमास एसेसमेन्ट रिपोर्ट।

(3) भूमि सम्बन्धी दस्तावेज(परियोजना हेतु चिहिन्त स्थल)।

(4) सी0पी0एम0/पर्ट चार्ट (प्रस्तावित परियोजना क्रियान्वयन हेतु)।

(5) परियोजना स्थल पर पानी की उपलब्धता के आधार पर जल आंवटन आदेश।

(6) परियोजना का शहरी क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने की दशा में विकासकर्ता द्वारा सम्बन्धित नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र।

7.8 **<u>समयावृद्वि</u>**

इस नीति के प्रस्तर 7.7 में उल्लिखित अनुसार, यदि अपेक्षित गतिविधियों को पूरा करने में विलम्ब होता है और यह विलम्ब विकासकर्ता के नियंत्रण से परे हो तो समाधान कर लेने के पश्चात् (प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार) 2–2 मास के दो खण्डों में समय सीमा में वृद्वि की जा सकेगी।

7.9 विकासकर्ता द्वारा जमा कराये गये अभिलेखों के यूपीनेडा स्तर पर परीक्षणोपरांत, संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में विकासकर्ता को स्वीकृति पत्र अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित निम्नानुसार समिति के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जायेगाः–

1. अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग – अध्यक्ष
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग अथवा नामित प्रतिनिधि – सदस्य
3. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग अथवा नामित प्रतिनिधि – सदस्य
4. अपर मुख्य सचिव, न्याय विभाग अथवा नामित प्रतिनिधि – सदस्य
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी अथवा नामित प्रतिनिधि – सदस्य
6. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग अथवा नामित प्रतिनिधि – सदस्य
7. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग अथवा नामित प्रतिनिधि – सदस्य
8. आवश्यकतानुसार केन्द्र/राज्य के लब्ध प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञ – सदस्य
9. निदेशक, यूपीनेडा – सदस्य सचिव

अभिलेखों के परीक्षण हेतु यथावश्यकता विषय विशेषज्ञों की सेवाएं ली जायेंगी। उक्त स्वीकृति पत्र के आधार पर विकासकर्ता को नीति के प्रस्तर 7.3 तथा 7.4 में वर्णित क्षेत्र सम्बद्धीकरण का लाभ तथा संबंधित संस्था से फीडस्टॉक आपूर्ति संबंधी दीर्घावधि अनुबंध के निष्पादन हेतु सुविधा तथा कैचमेंट एरिया में सक्रिय एफपीओ/ग्रामीण उद्यमियों इत्यादि को अनुदान प्राप्त कृषि उपकरणों का लाभ संबंधी प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेंगे परन्तु स्वीकृति पत्र में वर्णित शिड्यूल कमिशनिंग तिथि तक संयंत्रों के कमीशन न होने की स्थिति में उक्त स्वीकृति को निरस्त मानते हुए अन्य विकासकर्ता के पक्ष में उक्त स्वीकृति तथा तत्संबंधी लाभ, प्रोत्साहन तथा सुविधाएं स्थानान्तरित की जा सकेंगी।

परियोजना लागत की परिभाषा एवं अन्य परिभाषाएँ तथा प्रोत्साहन प्राप्ति की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अनुरूप होंगी।

8. भूमि का आवंटन तथा तत्सम्बन्धी अनुमतियॉं

8.1 उ0प्र0 में जैव ऊर्जा उद्यमों की स्थापना एवं संचालन हेतु न्यूनतम आवश्यक भूमि की मात्रा/मानको का निर्धारण नोडल एजेन्सी द्वारा विषय विशेषज्ञों के सहयोग से किया जायेगा। तद्नुसार ही भूमि संबंधित अनुमतियां यथा लैंड सीलिंग से छूट इत्यादि प्रदान करने हेतु विकासकर्ताओं के आवेदनों पर कार्यवाही की जायेगी।

8.2 जैव ऊर्जा उद्यमों/संयंत्रों की स्थापना अथवा फीडस्टॉक संग्रहण एवं भण्डारण हेतु निजी काश्तकारों से भूमि क्रय अथवा लीज के माध्यम से अर्जित किये जाने की दशा में किराये नामे/लीज/विक्रय विलेख पंजीकरण पर देय स्टाम्प ड्यूटी की शत्प्रतिशत प्रतिपूर्ति संयंत्र की नियत समयावधि में स्थापना के उपरांत अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के बजटीय प्रावधान से उपलब्ध करायी जायेगी।

8.3 जैव ऊर्जा उद्यमों/संयंत्रों की स्थापना तथा फीडस्टॉक के संग्रहण एवं भण्डारण हेतु प्रयुक्त भूमि को लैण्ड सीलिंग से डीम्ड छूट व कृषि से गैर–कृषि डीम्ड कन्वर्जन की व्यवस्था उ0प्र0 राजस्व संहिता के अन्तर्गत अनुमन्य होगी।

8.4 (क) शासन के कार्यालय–ज्ञाप सं0–1694/45–वि(अति0ऊ0स्रो0 वि0)/2015, दिनांक 21.12.2015 के द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को सेवारत विभाग की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जिसके क्रम में राजस्व विभाग से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को भूमि का निःशुल्क पुनर्ग्रहण जैव ऊर्जा उद्यमों के प्रयोजन हेतु किया जायेगा। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग/यूपीनेडा द्वारा जैव ऊर्जा उद्यमों/संयंत्रों की स्थापना तथा फीडस्टॉक के संग्रहण एवम् भण्डारण हेतु अधिकतम् 30 वर्षों की लीज अवधि हेतु भूमि एक रूपये प्रति एकड़ वार्षिक के टोकन लीज़ रेन्ट पर उपलब्ध कराई जायेगी। यह लीज नान–ट्रांसफरेबल होगी।

(ख) नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित जैव ऊर्जा सयंत्रों को संबंधित नगर निकाय/नगर विकास विभाग द्वारा भूमि अनिवार्य रूप से एक रूपये प्रति एकड़ वार्षिक के टोकन लीज़ रेन्ट पर उपलब्ध कराई जायेगी।

9. बायोडीजल एवम् बायोएथेनॉल

9.1 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30.4.2019 के अन्तर्गत उ0प्र0 में परिवहन प्रयोजन हेतु हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव डीजल की विक्री हेतु निर्गत दिशा–निर्देश के अन्तर्गत उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश में जैव डीजल (बी–100) की खुदरा विक्री हेतु अनुमति प्रदान करने व निरीक्षण इत्यादि के संबन्ध में कार्य प्रक्रिया नियत करने की कार्यवाही की जायेगी।

9.2 भारत सरकार की जैव ऊर्जा नीति–2018 के अन्तर्गत प्रदेश में बायो डीजल/बायो एथेनाल उत्पादन इकाइयों की स्थाापना को बढ़ावा देने हेतु अनुमन्य केन्द्रीय वित्तीय सहायता/पूॅजी उपादान को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान कराया जायेगा। ऐसी इकाईयॉ जिनको केन्द्र सरकार की किसी नीति/योजना अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य नीति/योजना के अन्तर्गत पूंजीगत उपादान प्राप्त नही हो रहा है, को राज्य सरकार द्वारा इकाई लागत के 15 प्रतिशत के बराबर पूंजीगत उपादानवर्तमान नीति के प्रस्तर–5 के प्रावधान के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा। प्रदेश में इन इकाइयों को फीडस्टाक उपलब्ध कराने हेतु फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनीज/ग्रामीण उद्यमियों के माध्यम से अखाद्य तिलहन पौधों/पेड़ों/ऊर्जा घास के रोपण तथा इस उद्देश्य हेतु खाली पड़ी ग्राम पंचायत/राजकीय भूमियों के आवंटन, प्रचार प्रसार, प्रशिक्षण तथा आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण भी किया जायेगा।

10. प्रकीर्ण

10.1 इस नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाली जैव ऊर्जा इकाईयों द्वारा संबंधित पर्यावरणीय अधिनियमों, विनियमों तथा आदेशों का अनुपालन अनिवार्य होगा।

10.2 अनुश्रवण, समीक्षा, अन्तर्विभागीय समन्वय, कठिनाईयों के निराकरण तथा नीति के सुचारू क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की जायेगी।

10.3 इस नीति के अन्तर्गत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित तकनीकों पर ही सुविधायें और प्रोत्साहन देय होंगे तथा अपशिष्ट/ बायोमास में जीवाश्म आधारित ईधन का मिश्रण अनुमन्य नही होगा।

10.4 उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022 के क्रियान्वयन एवं उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के सहयोग हेतु परियोजना प्रबंधन इकाई के गठन तथा संचालन हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन की व्यवस्था राज्य सरकार के बजट के माध्यम से की जायेगी।

कम्प्रेस्ड बायोगैस, बायोकोल, बायो एथनॉल एवं बायो डीजल प्लांटस हेतु राज्य वित्तीय सहायता का विवरण

अ कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांटस

नीति की कालावधि में लक्षित क्षमता —500 टन सीबीजी प्रतिदिन
वित्तीय उपाशय — रू0 350 करोड़

वर्ष	लक्षित क्षमता (टन प्रतिदिन)	वित्तीय उपाशय (करोड़ में)
2022—23	50	30
2023—24	75	50
2024—25	125	90
2025—26	125	90
2026—27	125	90
योग	500	350

ब. बायोकोल प्लांटस

नीति के कालावधि में लक्षित क्षमता — 2000 टन बायोकोल प्रतिदिन
वित्तीय उपाशय — रू0 15 करोड़

वर्ष	लक्षित क्षमता (टन प्रतिदिन)	वित्तीय उपाशय (करोड़ में)
2022—23	150	1.0
2023—24	250	2.0
2024—25	500	4.0
2025—26	550	4.0
2026—27	550	4.0
योग	2000	15.0

स. बायो एथनॉल एवं बायो डीजल प्लांटस

नीति के कालावधि लक्षित क्षमता — 2000 किलोलीटर प्रतिदिन।
वित्तीय उपाशय — रू0 50 करोड़

वर्ष	लक्षित क्षमता (किलोलीटर प्रतिदिन)	वित्तीय उपाशय (करोड़ में)
2022—23	200	5
2023—24	300	7
2024—25	400	10
2025—26	550	14
2026—27	550	14
योग	2000	50